

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2023 /
प्रति,

2026

खण्डवा, दिनांक 18-5-23

वनपरिक्षेत्राधिकारी,
पुनासा सामान्य

विषय:- खण्डवा जिले के अंतर्गत ग्राम गोदडपुरा तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.800 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, ओंकारेश्वर मांधाता जिला खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1032 / 2021 / 10-11 / 2004 दिनांक 17.05.2022

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि खण्डवा जिले के अंतर्गत ग्राम गोदडपुरा तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.800 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, ओंकारेश्वर मांधाता जिला खण्डवा को उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा दर्शित बिंदुओं के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है। अतः संदर्भित पत्र में दर्शित बिंदुओं के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन शीघ्र उपवनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 18-5-23

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 2027

प्रतिलिपि :-

- 1- उपवनमण्डलाधिकारी पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संदर्भित पत्र में दर्शित बिंदुओं की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करावें।
- 2- प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, ओंकारेश्वर मांधाता जिला खण्डवा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खण्डवा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1032/2021/10-11/2004

भोपाल, दिनांक 17/05/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वन मण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

विषय:- खण्डवा जिले के अंतर्गत ग्राम गोदड़पुरा, तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.800 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता जिला खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB 067/2021-BHO दिनांक 16.05.2023

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार दोनों बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को भिजवाये, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1032/2021/10-11/2005

भोपाल, दिनांक 17/05/2023

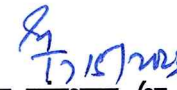
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, म.प्र.।

2. प्रबंधक, श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता, जिला खण्डवा, म.प्र.।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 067/2021-बीएचओ/

दिनांक : 16/05/2023

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: खण्डवा जिले के अन्तर्गत ग्राम-गोदड़पुरा, तहसील-पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.800 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, ओंकारेश्वर मान्धाता खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1032/2021/10-11/778 दिनांक 21/02/2023.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/252 दिनांक 12/05/2023.

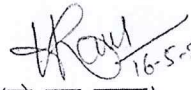
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 04/05/2023 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 12/05/2023 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Forest Department shall initiate legal action against Officers who did not take action against encroachment.
2. The State Forest Department shall list out all the officers in charge for not taking any action against encroachers and submit detailed action taken report in the compliance.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय


(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

Signed by Hare Ram Kumar
Date: 16-05-2023 15:51:16
Reason: Approved